प्रेषक,

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
सहारनपुर ।

सेवा में,

निबंधक,
मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ0प्र0
लखनऊ ।

पत्रांकः 23/जि0आ0सहारनपुर/मीडियेशन/2021-22 दिनांकः 10.3.22

विषयः- **जिला आयोग,सहारनपुर हेतु मध्यस्थों को पैनलबद्ध करने हेतु विज्ञप्ति को मा0 राज्य आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड़ कराये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,लखनऊ के पत्रांकः3426/एस0सी0डी0 आर0सी0/अधि0101/16 दिनांकः02.12.2021 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 उ0प्र0शासन की अधिसूचना सं0सी.पी.480/2021/84-2-2021-सी.एन. 1369528 दिनांकः 25.11.2021 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियमन, 2020 की धारा-5 के अनुसार इस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,सहारनपुर हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध किया जाना है। इस संबंध में प्राविधान है कि संबंधित में विज्ञापन को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जावे ।

उपरोक्त के अनुपालन में दिनांक 10.03.2022 के दि टाईम्स ऑफ इण्डिया अंग्रेजी समाचार पत्र व हिन्दुस्तान हिन्दी समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करा दिया गया है (समाचार पत्रों की कटिंग संलग्न), जो निम्नवत् हैः-

नियुक्तियों के सम्बंध में सूचना

"जिला उपभोक्ता आयोग, सहारनपुर में मध्यस्थ नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति मा0राज्य उपभोक्ता आयोग,उ0प्र0 की बेवसाइट www.scdrc.up.nic.in से समस्त जानकारी डाउनलोड कर आवेदन कर सकते है। "

अतः महोदय से अनुरोध है कि मा0 राज्य आयोग उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट पर नियुक्तियों से सम्बंधित शर्तों एवं आवेदन का प्रारूप (संलग्न) एवं अंतिम तिथि को अपलोड़ कराने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

सधन्यवाद ।

भवदीय,

(सतीश कुमार)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
सहारनपुर।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहारनपुर।

सूचना

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या सी.पी.480/2021/84-2-2021-सी.एन.1369528 दिनांक 25.11.2021 एवं इसी क्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक-3426/एस.सी.डी.आर.सी/अधि.101/16 दिनांक 02.12.2021 के क्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सहारनपु में उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है।

इसी क्रम में उचित पात्रता वाले व्यक्तियों से आवेदन एतद् द्वारा आमंत्रित किये जाते है।

मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिये निम्न उल्लिखित व्यक्ति पात्र होंगे:-

(i) जिला उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य।
(ii) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवा निवृत्त सदस्य।
(iii) दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी।
(iv) वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता।
(v) जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनल बद्ध मध्यस्थ।
(vi) मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति।
(vii) न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवा निवृत्त अधिकारी।

निम्न उल्लिखित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए अनर्ह माने जायेंगे:-

(i) ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्याय निर्णित घोषित किया गया हो।
(ii) ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हो, और लम्बित पड़े हो।
(iii) ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हेतु सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
(iv) ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी हो और लम्बित हो, दण्डित किया गया हो।
(v) ऐसा व्यकित जो उपभोक्ता विवाद के विषय में हितबद्ध रखता हो अथवा उससे सम्बंधित हो अथवा जो वृतिक क्षमता सहित किसी भी रीति में उपभोक्ता विवाद में किसी भी पक्ष या उसके किसी सहभागी, सहयोगी, प्रमोटरों, मूल कम्पनी, अनुषंगी कम्पनी, भागीदारों, निदेशकों या कर्मचारी इत्यादि से सम्बंधित हो अथवा सम्बद्ध हो अथवा जुड़ा हुआ हो।

अर्ह व्यक्ति अपना पूर्ण नाम, पता शैक्षिणिक योग्यता, अनुभव, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर का विवरण उल्लिखित करते हुए, आवेदन दिनांक 26.03.2022 तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहारनपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में प्रस्तुत कर सकते है। आवेदक को आवेदन पत्र पर अपना स्व हस्ताक्षरित अद्यतन फोटो चस्पा करना होगा।

(सतीश कुमार)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
सहारनपुर।

पत्रांकः- 13 /जि0उप0वि0प्रति0आ0/स.पुर./2021-22 दिनांकः- 02/3/22

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- जिला सूचना अधिकारी सहारनपुर को 03 प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को कम से कम एक अग्रेजी समाचार पत्र व सहारनपुर में प्रचलित एक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करें तथा सूचना प्रकाशित होने सम्बंधी समाचार पत्रों की प्रति भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित करें।

2- अध्यक्ष, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन, (सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड) सहारनपुर को एसोसिएशन के कार्यालय में चस्पा कराने के अनुरोध के साथ।

3- अध्यक्ष, कलक्ट्रेट बार एसोसिएश, (कलक्ट्रेट कम्पाउण्ड) सहारनपुर को एसोसिएशन के कार्यालय में चस्पा कराने के अनुरोध के साथ।

4- कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5- प्रभारी अधिकारी, (नजारत) कलक्ट्रेट सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को अपने कार्यालय में चस्पा एवं अपने वेबपोर्टल पर अपलोड़ कराने के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(सतीश कुमार)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
सहारनपुर।

अनुलंग्नक-1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहारनपुर से सम्बंद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ के लिये मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होने के लिये आवेदन।

एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित हो।

1.	आवेदक का नाम (हिन्दी में)	
2	आवेदक का नाम (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में)	
3	आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में)	
4	आवेदक की जन्म तिथि	
5	आवेदक का स्थायी पता	
6	आवेदक का मोबाइल नम्बर	
7	आवेदक का ई-मेल आईडी	
8	आवेदक का पत्राचार का पता	
9	आवेदक का वर्तमान व्यवसाय और वार्षिक आय	
10	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	
11	आवेदक का मध्यस्थता और शैक्षणिक क्षेत्र/सेवा में अनुभव	
12	क्या आपने कभी राज्य/केंद्र सरकार के अधीन सिविल पोस्ट पर कार्य किया है? यदि हाँ तो विवरण दे।	
13	क्या आपने कभी मध्यस्थता का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो विवरण दें और अपेक्षित प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	
14	यदि आवेदक किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य/वकालत का दस वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता/मध्यकता/सुलह में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति/ न्यनूतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं सेवा के अंतिम पद का उल्लेख करें।	

15	क्या आवेदक के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज किया गया है?	
16	क्या आवेदक पर किसी अपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है।	
17	क्या आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है? यदि हाँ तो तत्सम्बंधी ब्यौरा।	
18	कोई अन्य जानकारी जो कॉलम नंबर 1 से 17 के अंतर्गत नहीं आती है।	

आवेदक का हस्ताक्षर और नाम

दिनांकः-.......................................

स्थानः-.......................................

टिप्पणियाँ:-

1- आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के समर्थन में सबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।

2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में दिनांक 26.03.2022 को शाम 05:00 बजे तक या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए।

3- उम्मीदवार को ऊपर दिये गये निर्देशों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com

अपना बिजनेस

मेरठ
गुरुवार
10 मार्च 2022

री तिमाही में 2.8% सकता है चालू घाटा

सी। देश का चालू खाते (कैड) चालू वित्त वर्ष बर-दिसंबर तिमाही में लू उत्पाद (जीडीपी) तिशत या 23.6 अरब पहुंच सकता है।

रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह गाया गया है। यदि ऐसा तो यह कैड का 13 का सबसे ऊंचा स्तर वार को जारी इस रिपोर्ट क, रूस-यूक्रेन संघर्ष से जिंसों के दाम चढ़ रहे का सीधा असर चालू ाटे पर पड़ेगा।

में कहा गया है कि

- इंडिया रेटिंग्स का ताजा रिपोर्ट में अनुमान
- 13 तिमाहियों में घाटे का सबसे उच्च स्तर होगा

कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर ओमीक्रोन अब समाप्त हो रही है, लेकिन रूस-यूक्रेन संघर्ष की वजह से वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार में भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में कैड 2.2 अरब डॉलर या जीडीपी का 0.3 प्रतिशत ही रहा था।

रे दिन सेंसेक्स 23 अंक चढ़ा

ंसी। यूक्रेन संकट दूर लिए कूटनीतिक प्रयासों लगाए बैठे निवेशकों

दो दिन में 7.21 लाख करोड़ रुपये

भारतपे के खिलाफ जीएसटी चोरी की जांच का दायरा बढ़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। माल एवं सेवा कर अधिकारियों ने वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी भारतपे के खिलाफ जीएसटी की कथित चोरी के मामले में चल रही अपनी जांच के दायरे को बढ़ाया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि जीएसटी अधिकारी अब कंपनी से हटाए जा चुके सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के नजदीकी लोगों द्वारा फर्जी बिलों या चालान की भी जांच करेंगे। जीएसटी अधिकारी कंपनी के पिछले चार साल के बही-खातों की जांच कर रहे हैं। इसके जरिये वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सेवाओं के लिए भी फर्जी बिल जारी किए गए हैं।

भारतपे के निदेशक मंडल ने ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को सभी पदों से हटा दिया था।

ग्लांजा के नए संस्करण की बुकिंग शुरू

नई दिल्ली। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी प्रीमियम हैचबैक के नए संस्करण के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा मॉडल को ऑनलाइन या डीलर के जरिए 11,000 रुपये का भुग बुक कर सकते हैं। टोयोटा ग्लांजा 2019 में बाजार में आई थी।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सहारनपुर।

दिनांक 07.03.2022

नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना

जिला उपभोक्ता आयोग सहारनपुर में मध्यस्थ नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति मा0 राज्य उपभोक्ता आयोग,उ0प्र0 की बेवसाइट www.scdrc.up. nic.in से समस्त जानकारी डाउनलोड कर आवेदन कर सकते है।

(सतीश कुमार)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
सहारनपुर।

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

पत्रांक–634/उ0न0आ0/न0नि0सहा0 दिनांक:– 09.03.2022

–सूचना–

नगर पथ विक्रेताओं के पंजीकरण हेतु अन्तिम अवसर

इस नोटिस द्वारा समस्त ऐसे नगर पथ विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि जिन्होने अभी तक नगर निगम में अपना पंजीकरण नहीं कराया है वह दिनांक 11.03.2022 से 15.03.2022 तक पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक पंजीकरण फार्म प्राप्त कर उसे आवश्यक अभिलेखों जैसे आधार कार्ड, फोन नं0, बैंक पासबुक, एक कारोबार करते हुये फोटो, एक पासपोर्ट साईज फोटो, नोमिनी आधारकार्ड सहित भरकर जमा करा दें। इसके बाद यह समझा जायेगा कि शहर में कोई पथ विक्रेता अवशेष नहीं है। दिनांक 15.03.2022 के बाद नगर पथ विक्रेता के पंजीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नगर आयुक्त
नगर निगम, सहारनपुर।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना अल्पकालीन ई–निविदा सूचना कार्य/आपूर्ति हेतु ई–टेण्डरिंग माध्यम से निविदा दिनांक 23.03.2 बजे से पूर्व/तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन समय 16:00 ब खोली जायेंगी। निविदा की अर्हता सम्बन्धी विस्तृत जानकारी/ निविदा खोलने की तिथि में विस्तार होता है तो इसकी सूचना http://www.etender.up.nic.in एवं www.pvvnl.org पर जायेगी। ई–निविदा संख्या–125/वि0वि0मं0प्र0बु0/21–2022, खण्ड–खुर्जा, के अर्न्तगत पूर्ण जमा योजना मद में आवेदित घरेलू करने संबंधी कार्य । धरोहर राशि रु0 1200.00 एवं निविदा शुल्क 18% =1180 है। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी नि करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। "राष्ट्रहित में बिजली ब अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल प्रथम बुलन्दशहर। "बिजली हेल्पलाईन नम्बर: 1800–180–3002 (मेरठ) एंव 1800–180–875 दें। पत्रांक 2865 दिनांक 09.03.2022

दिल्ली जल बोर्ड (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
ईई(सी) डीआर-XIV द्वारा कार्यालय एसीई (डीआर) पीआर.-I
एस.पी.एस. नजफगढ़, नई दिल्ली-110043, ईमेल: eecdrxiv@gmail.com

नि.आ.सू. सं. 08/ईई(सी) डीआर- XIV/(2021-22)

मद सं.	विवरण	निविदा के लिए रखी गयी राशि	धरोहर राशि (रु. में)	निविदा शुल्क (अप्रतिदेय) (रु. में)	समापन अवधि	ई-प्रोक्युरमेंट सॉल्युशन द्वारा निविदा डाउनलोड करने हेतु अंतिम तिथि/समय
1.	द्वारका विधानसभा के तहत मेन सागरपुर क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम प्रदान करना/बिछाना। निविदा आईडी सं. 2022_DJB_218282_1	6,11,42,416/-	12,22,848/-	रु. 1500/-	180 दिन	01.04.2022 को अप. 03.00 बजे तक

इस संबंध में आगामी विवरण को (https://govtprocurement.delhi.gov.in) में देखा जा सकता है।

ज.सं.अधि. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा. सं. ज.सं.वि. 1231/2021-22

"कोरोना रोकें: मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें"

ह0/- (ओ.पी. शर्मा)
अधि.अभि. (सी) डीआर- XIV

दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पी)-3
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110025

प्रेस नि.आ.सू. सं. 71 (2021-22)

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु.)	ई-प्रोक्युरमेंट सॉल्युशन में निविदा के निर्गमन की तिथि	ई-प्रोक्यु निविदा प्र तिथि/सम
1.	ओखला एस.टी.पी. में हाजी कालोनी के निकट आर.सी.सी. चहारदीवारी का निर्माण। (पुनः आमंत्रण) 2022_DJB_218269_1	64,15,133/-	07.03.2022	16.03.2 को अप.

* इस संबंध में अन्य विवरण https://govtprocurement.delhi.gov.in/nicgep/app पर देख सकते हैं।

ज.सं.अधि. (जल) द्वारा जारी
विज्ञा.सं. ज.सं.वि. 1230/2021-22

कोरोना रोकें : मास्क पहनें, दो गज की दूरी का पालन करें, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें

अधि. अभियन्ता (सिविल) प्लांट

Covid cases in 4 dists, rate recorded at 95.7%

UTTARAKHAND CORONA METER			
MARCH 9, 2022			
Number of positive cases	Number of deaths	Number of samples tested	Number of people vaccinated
23	1	6,748	10,692

of
ar,
gh

toll of the virus to 270 in the state since the start of this year. Meanwhile, the tally of Covid recovery cases for this year shot up to 87,796 after 50

Seismic activity recorded before Chamoli disaster, say scientists

'Integrated

of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India, SARB, Creditor) website:- https://www.sbi.co.in & m/auctionhome/ibapi/index.jsp

Authorized Officer, State Bank of India

NDPS Act and presented before a local court on Wednesday. Subsequently, he was sent to jail." TNN

DM of Nainital respondents in the case.

TOI had earlier tried to reach out to students of the

and complained of being beaten up by seniors. The university has downplayed several such incidents.

day (March 11).

> **Initially, we were planning to submit affidavits with a footnote saying – 'submitting the affidavit under pressure'. However, the university administration refused to accept them**
>
> An MBBS student of the university

"Initially, we were planning to submit affidavits with a footnote saying – 'submitting the affidavit under pressure'. However, the university administration refused to accept them," a distressed student told TOI.

The students continue to

(HC) seeking permission to hike the fee to Rs 34 lakh.

On the contrary, a press statement issued by the university to the media said, "The fee issue has been resolved. Students have returned to their hostels and they have agreed to pay the deficit amount. Exams held on March 8 and March 9 will be rescheduled for March 17 and 19, respectively. If the university wins the case in court only then will it use that cheque, else it will return it. There is no fee hike until then."

Students are awaiting an "official communication mentioning the rescheduled dates" from the university.

The court hearing of the case, scheduled for Wednesday, has been postponed to March 24.

आवश्यक सूचना

जिला उपभोक्ता आयोग, सहारनपुर में मध्यस्थ नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति मा० राज्य उपभोक्ता आयोग, उ०प्र० की बेवसाइट **www.scdrc.up.nic.in** से समस्त जानकारी डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं।

सतीश कुमार अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहारनपुर।

SBI

STATE BANK OF INDIA

Stressed Assets Recovery Branch, 2nd Floor, 2-Tilak Marg, Near National P.G. College, Lucknow-226001, Email-sbi.05178@sbi.co.in

POSSESSION NOTICE {for immovable property under Rule 8(1)}

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the **State Bank of India, SARB, Lucknow (UP)** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice calling upon them to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of said notice. The Borrowers/Guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rule.
The Borrowers/Guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned not to be deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of **State Bank of India, SARB, Lucknow (UP)** for the amounts and interest thereon.
The Borrowers/Guarantors attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. **Detail of Properties where possession has been taken are as follows:-**

Name & Address of the Borrower/Partner/Guarantor/Mortgagor	Description of Properties (Movable/Immovable)	Total Amt. o/s [as per Notice u/s 13(2)]	Date of Demand Notice Date of Possession